

12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास धारित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

13. ई-वोटिंग {सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दी गई मर्दानों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में एस. एन. अनंतसुब्रमणियन व कंपनी, कंपनी सचिवालय की नियुक्ति की है।

शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों को उनके द्वारा यथा सोमवार, 03 अगस्त 2020 को धारित ई-वोटिंग शेयरों के मद्दे होगा जो कि इस प्रयोजन के लिए अंतिम तारीख है। अंतिम तारीख को, भौतिक या विमुद्रित रूप में शेयर धारित करने वाले बैंक के शेयरधारक, नोटिस की कार्यसूची मद्द पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ई-मतदान के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

- ई-मतदान के लिए निम्नलिखित युआरएल का उपयोग करें:
<https://evoting.karvy.com>
- लॉगिन क्रेडेंशियल प्रविष्टि
आपका फोलियो नं. / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपका प्रयोक्ता (यूजर) आईडी होगा। पासवर्ड आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- उनके लिए जिनका ईमेल पता पंजीकृत नहीं है लॉगिन क्रेडेंशियल / वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:
शेयरधारक जिन्होंने अपना मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणाम स्वरूप उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम और ई-वोटिंग नोटिस की सूचना नहीं दी जा सकी है, उसे भेजने के लिए अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता तथा मोबाइल नम्बर लिंक :https://ris.kfintech.com/email_registration/ पर क्लिकिंग करते हुए केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को प्रदान किए गए हैं को प्राप्त करें। शेयरधारियों से अनुरोध है कि वे नोटिस और ई-मतदान निर्देशों के साथ-साथ प्रयोक्ता (यूजर) आईडी और पासवर्ड भेजने के लिए ईमेल पते और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के लिए

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

13. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to the shareholders of the Bank through Kfin Technologies Pvt Ltd to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

The Bank has appointed S. N. Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-Voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Monday, 03rd August, 2020 **being the Cut-off date for the purpose.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically **on the agenda items of the Notice.**

The instructions for e-Voting are as under:

- To use the following URL for e-voting:
<https://evoting.karvy.com>
- Enter the login credentials
Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail ID.
- Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those, whose e-mail addresses are not registered:**
Shareholders who have not registered their mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/email_registration/ for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the

शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर लिखें।

वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस तथा ई-मतदान अनुदेश भेजने के लिए सदस्य वैकल्पिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ईमेल पता, मोबाइल नम्बर, स्वयं सत्यापित पैन प्रति तथा ग्राहक मास्टर प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

- ई. उचित रूप से विवरण प्रविष्ट करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- उ. आप पासवर्ड बदलने के मेनू तक पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिसमें एक बड़ा अक्षर (ए-जेड), एक छोटा अक्षर (ए-जेड), एक संख्यात्मक मूल्य (0-9) और एक विशेष अक्षर शामिल होगा। पहले लॉगिन पर सिस्टम आपसे पासवर्ड बदलने तथा संपर्क विवरण जैसे मोबाइल, ईमेल आदि अद्यतन करने के लिए निर्देश देगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का गुप्त प्रश्न और उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। दृढ़ता से यह अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाये रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
- ऊ. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ दोबारा लॉगिन करना आवश्यक है।
- ऋ. सफल लॉगिन करने पर सिस्टम आपको ईवेंट जैसे केनरा बैंक का चयन करने का निर्देश देगा।
- ए. **कार्यसूची मद 1 व 2 के लिए** : मतदान पृष्ठ पर यथा अंतिम तिथि (03 अगस्त 2020) तक शेयरधारक द्वारा धारित अनुसार शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मद के प्रस्तावों के लिए सभी मतों को असहमति / असहमति देने की इच्छा रखते हैं, तो सभी शेयरों में प्रविष्ट करें और मामले के अनुसार "के लिए" / "के विरुद्ध" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरह से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप कितनी भी संख्या में आंशिक रूप से "के लिए" में और आंशिक रूप से "के विरुद्ध" प्रविष्ट कर सकते हैं, लेकिन "के लिए / के विरुद्ध" दोनों की साथ में ली गई कुल संख्या आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित है। यदि आप मतदान से बचना चाहते हैं तो आप "एबस्टेन" विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप या तो "के लिए" या "के विरुद्ध" इंगित नहीं करते हैं, तो इसे "एबस्टेन" के रूप में माना जाएगा और धारित किए गए शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। पुष्टी हेतु ओके करें वरना संशोधन के लिए रद्द (कैंसल) करें। आपके द्वारा पुष्टी करने के बाद आपको मत में संशोधन

User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

Alternatively member may send an e-mail request at the e-mail id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual Report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

- d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., **Canara Bank**.
- h. **FOR THE AGENDA ITEMS 1 & 2** : On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (03rd August 2020) will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR / AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify

करने की अनुमति बहावेध नहीं होगी। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक इन प्रस्तावों पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉगिन कर सकते हैं।

ए. फोलियो / डीमैट अकाउंट रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

तथापि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 (2ई) (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के संदर्भ में, भारत सरकार के अलावा किसी भी हिस्सेदार को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

ऐ. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को ई-मेल scrutinizer@snaco.net के माध्यम से समीक्षक को वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है।

ए. एक बार जब आप किसी संकल्प पर अपना मत देते हैं, तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

ऐ. रिमोट ई-मतदान अवधि

मतदान के लिए पोर्टल गुरुवार, 6 अगस्त 2020 को प्रातः 9:00 बजे से रविवार, 9 अगस्त 2020 को शाम 5:00 बजे तक (दोनों दिन सम्मिलित) खुला रहेगा तथा आरटीए उसके बाद ई-मतदान प्लैटफॉर्म को अक्षम कर देगा।

ऑ. किन्हीं प्रश्नों के मामले में <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-मतदान प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ लें या 040 67162222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री न.) पर केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के यहां श्री एस वी राजु से संपर्क करें।

ऑ. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और इसे गोपनीय बनाये रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

ऑ. ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट में की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया नोट करें की एक बार जब आप ई-वोटिंग के तहत अपना वोट डालते हैं, तो आप वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान को संशोधित या मतदान नहीं कर सकते हैं। तथापि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और यदि कोई चर्चा होती है तो उसमें भाग ले सकते हैं।

14. बैठक के दौरान ई- मतदान प्रणाली

केवल वे शेयरधारक जो ई-एजीएम में मौजूद हैं और जिन्होंने

your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.

i. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.

However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

j. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF / JPG format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net

k. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

l. Remote e-Voting Period

The Portal will remain open for voting from: 9.00 a.m. on Thursday the 06th August, 2020 to 5.00 p.m. on Sunday the 9th August, 2020 (both days inclusive) and RTA will disable the e-voting platform thereafter.

m. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-Voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. S V Raju of Kfin Technologies Pvt Ltd at 040 67162222 or at 1800 345 4001 (toll free).

n. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

o. The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once you have cast your vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

14. E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING:

Only those shareholders who are present in the

रिमोट ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। शेयरधारक बैठक के दौरान दिए गए अनुदेशों का पालन करते हुए वीसी/एवीएम में लॉगिन करने के बाद उपलब्ध लिंक <https://emeetings.kfintech.com/> पर क्लिक करते हुए मतदान कर सकते हैं।

15. मतदान पोल के यहां संवीक्षक

मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन व कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी बैठक की सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग व ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

16. रिमोट ई-वोटिंग व पोल के परिणाम

ई-एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग व वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जायेगी और बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों व केफिन टेक्नॉलजिस लिमिटेड की वेबसाइटों पर भी होस्ट किया जाएगा।

नोटिस की मद संख्या 2 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

- 31 मार्च, 2020 को बैंक की वर्तमान इक्विटी पूंजी ₹1030.23 करोड़ और बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.65% है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.875% से अधिक है। तथापि, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं, बेसल III मानदंडों के कार्यान्वयन, और परिणामस्वरूप पूंजी प्रभार के मद्देनजर पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- बैंक ने अपनी 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक 25.07.2019 को आयोजित की थी, जिसमें अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन सहित विभिन्न मोड के माध्यम से ₹6,000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) के इक्विटी शेयरों के नये इश्यू के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे, बैंक ने दिनांक 23.11.2019 के डाक मतदान द्वारा एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत सरकार को अधिमन्य आधार पर प्रति शेयर ₹237.23 के इश्यू मूल्य पर प्रत्येक ₹10 के 27,69,88,576 इक्विटी शेयर जारी करते हुए 04.12.2019 को ₹6,571 करोड़ जुटाये हैं।
- 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में प्राप्त संकल्प क्यू आई पी के लिए एक वर्ष तक समित है, बैंक के टियर 1 पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने फॉलो-ऑन इश्यू, राइट इश्यू, सरकारी और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिमन्य इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और पूंजी बढ़ाने के अन्य अनुमत

e-AGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system. The shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link <https://emeetings.kfintech.com/available> after logging in to VC/AVM by following the instructions mentioned therein.

15. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of all the agenda items of the meeting.

16. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-voting and voting at the e-AGM will be announced within two days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Private Limited.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 2 OF THE NOTICE:

- The current Equity Capital of the Bank is ₹1030.23 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2020 is 13.65 %, which is well above the 10.875% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
- The Bank had at its 17th AGM held on 25.07.2019 passed a special resolution for fresh issue of equity shares of upto ₹6,000 Crore (including premium) by way of various modes including Qualified Institutional Placement. While the Bank did not raise capital through any of the modes approved by the Shareholders, the Bank raised ₹6,571 Crore on 04.12.2019 by issue of 27,69,88,576 equity shares of ₹10 each at an issue price of ₹237.23 per share on preferential basis to Government of India after obtaining shareholders approval by way of Special resolution through Postal Ballot notice dated 23.11.2019.
- As the validity of the resolutions obtained in the 17th AGM is restricted to one year for QIPs, In order to shore the Bank's Tier I capital, the Board of Directors of the Bank have decided to raise Capital to the extent of ₹5000 Crores (including premium) through various modes including Follow-on Issue, Right Issue,

माध्यम सहित विभिन्न माध्यमों से ₹5000 करोड़ों (प्रीमियम सहित) की सीमा तक पूंजी बढ़ाने का फैसला किया है।

4. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, ईक्विटी केन्द्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी का न्यूनतम 52% अनुरक्षित रखेगा।
5. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह प्रावधान करता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।
6. संकल्प, बैंक को सार्वजनिक इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / भारि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान, जारी व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इश्यू आगम बैंक को समय-समय पर भारि.बै. द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को सशक्त करने में सक्षम करेगा।
7. आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प, निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है।

आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती हैं, जिसका मूल्य "प्रासंगिक तिथि" के पूर्व के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।

8. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार संबंधी परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में

Preferential Issue to Government and Financial Institutions, Qualified Institutional Placement and other permitted mode of raising capital.

4. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.
 5. *The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.*
 6. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares / preference shares / securities by way of follow on public issue, rights issue and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI / RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy requirements as specified by RBI from time to time.
 7. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
- In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.
8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors,

रखते हुए सलाहकार, अग्रणी प्रबंधकों व हामीदार व ऐसे अन्य अधिककारी या प्राधिकारियों व आवश्यकता अनुसार प्रधिकरण के साथ परामर्श से निर्धारित की जायेंगी।


9. चूंकि प्रस्ताव का मूल्य-निर्धारण बाद में करने के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य बताया जा सके। यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू या आवश्यक अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति के अनुसार होगा।
10. उपर्युक्त कारणों हेतु, इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में समर्थनकारी संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।
11. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी प्रकार से सममात्रा में हैं।

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखितानुसार विशेष संकल्पों को पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपर्युक्त उल्लिखित संकल्प में कोई हित या संबंध तिहित नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के हद तक, यदि हो तो।

निदेशक मंडल के आदेशों द्वारा



एल वी प्रभाकर

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : बंगलूरु
तिथि : 13-07-2020

Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.
11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors



L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 13-07-2020